महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज व्यवस्था की भूमिका

डॉ0 विकास चंद्र वशिष्ठ
एसो0 प्रोफे0
राजनीति विज्ञान विभाग,
मेरठ कॉलिज, मेरठ
Email : vashishtha749@gmail.com

कु0 प्रियंका
शोध छात्रा
राजनीति विज्ञान विभाग,
मेरठ कॉलिज, मेरठ

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र में वर्तमान में महिलाओं के राजनीतिक सषक्तिकरण को भारत में विकेन्द्रीकरण की उल्लेखनीय संस्था पंचायतीराज के माध्यम से समझने का प्रयास किया गया है। पंचायती राज को ही स्थानीय स्वशासन के नाम से जाना जाता है जो कि महात्मा गाँधी के ग्राम स्वराज के स्वप्निल आदर्श से निकटता से जुड़ाव रखता है।

स्वतंत्रता आन्दोलन के समय से ही ग्रामीण भारत को भी पूर्ण राजनीतिक सहभागिता पदान कर शासन में सहयोग देने जैसे महती कार्य के प्रति हमारे देश के प्रमुख व्यक्तित्वों का विश्वास रहा है। ग्रामीणों में भी नेतृत्व भावना का विस्तार करने के लिए ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लाया गया जो कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा। फिर त्रिस्तरीय पंचायतों के माध्यम से उस लक्ष्य को पूरा करने का बीड़ा उठाया गया, जो पंचायतों को संवैधानिकता प्रदान कर, महिलाओं को प्रत्यक्ष शासन में भागीदारी का आरक्षण प्रदान कर, पंचायती राज ग्रामीण भारत में सामाजिक क्रान्ति का वाहक बन चुका है।

मुख्य शब्दः *पंचायती राज, विकेन्द्रीकरण, अधिनियम, आरक्षण, स्थानीय स्वशासन*

Reference to this paper should be made as follows:

Received: 16.08.2019
Approved: 24.09.2019

डॉ0 विकास चंद्र वशिष्ठ, कु0 प्रियंका
महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज व्यवस्था की भूमिका

RJPP 2019,
Vol. XVII, No. 2,
pp.54-59
Article No. 8

Online available at *:*
http://
rjpp.anubooks.com/

प्रस्तावना

महात्मा गाँधी ने अपनी ग्राम स्वराज की कल्पना में कहा है कि–यह ऐसा पूर्ण प्रजातंत्र रहेगा जो अपनी अहम जरूरतों के लिए अपने पड़ोसी पर भी निर्भर नहीं रहेगा और फिर भी बहुतेरी जरूरतों के लिए जिनमें दूसरों का सहयोग अनिवार्य होगा–वह परस्पर सहयोग से काम लेगा। उनकी ग्राम स्वराज की संकल्पना को बाद में भारतीय संविधान निर्माताओं ने मूर्त रूप देने का प्रयास किया। संविधान के अनुच्छेद–40 में कहा गया है; राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठायेगा और उसको ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा जो उनहें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो।

आजादी के बाद पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए वर्ष 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना की गयी किन्तु जागरूकता के अभाव में ग्रामीणों ने रूचि नहीं दिखाई जिससे यह कार्यक्रम सफल नहीं हो सका। फलस्वरूप योजना आयोग ने 1957 में बलवंतराय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की जिसे इन कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी। विशेष तौर से लोगों की भागीदारी के सन्दर्भ में और इसे सुनिश्चित करने के तरीकों की सिफारिश करने के लिए भी कहा गया। समिति ने देश में त्रिस्तरीय पंचायतों की सिफारिश की–जिला पंचायत, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। इसके बाद अशोक मेहता समिति ने दो स्तरीय प्रणाली की सिफारिशें कीं। तत्पश्चात एम0एल0 सिंहवी समिति ने अपनी सिफारिशों में कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप पंचायतीराज संस्थाओं को स्थापित किया जाना चाहिए और ग्राम सभा विकेन्द्रीकरण का आधार होनी चाहिए। परिणामस्वरूप 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 पारित किया गया। यह एक मौन क्रांति की शुरूआत थी। इस संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग, भाग–9 जोड़ा गया जिसका शीर्षक पंचायत है। इसके द्वारा अनुच्छेद 243 में पंचायतों से सम्बन्धित अनेक प्रावधान किये गये और 16 अनुच्छेदों को इसमें शामिल किया गया है।

पंचायती राज व्यवस्था भारतीय समाज की सामाजिक–आर्थिक एवं राजनीतिक संरचना में परिवर्तन लानें में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर रही है। अब लोग न केवल विकास कार्यों में भाग लेने लगे हैं बल्कि विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आई विफलता को भी सामने लाते हुए आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने लगे हैं। इसने ग्रामीण उत्तरदायित्व की भावना जागृत करने में योगदान दिया है। जहाँ तक गाँव से जिला स्तर तक निर्णय लेने की प्रक्रिया में हमारी आबादी के पृथक वर्गों को शामिल करने का सवाल है, इनमें लगातार प्रगति देखी है। महिलाओं ने बड़े पैमाने पर सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया है। 2015 में 13,41,773 महिलाएँ स्थानीय सरकारों के लिए चुनी गई और इस संख्या की तीन गुनी महिलाओं में चुनाव लड़ा। विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं ने अपना उचित हिस्सा सुरक्षित कर लिया है। श्रेणियों में विभाजित और पुरूष वर्चस्व वाले हमारे समाज की यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वर्ष–दर–वर्ष सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से भी निर्वाचित महिलाओं की संख्या बढ़ रही है।

महिला सशक्तिकरण

यह महत्वपूर्ण है कि किसी भी प्रकार के सशक्तिकरण को गति प्रदान करने के लिए राजनीतिक सशक्तिकरण एक आवश्यक शर्त है, जिसका अर्थ है एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना। राजनीतिक सशक्तिकरण के माध्यम से सामाजिक सशक्तिकरण लाने का प्रयास किया जा रहा है। यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार भारतीय लोकतंत्र के अंतर्गत राजनीतिक समानता के सिद्धान्त ने सामाजिक असमानता की दीवारों को कमजोर किया है।

महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय महिलाओं को पुरूषों के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में उनके परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वतंत्रता से है। महिलाओं में इस प्रकार की क्षमता का विकास जिसमें वे अपने जीवन का निर्वाह इच्छानुसार कर सकने में सक्षम हो एवं उनके अन्दर आत्मविश्वास और स्वाभिमान को जागृत करना है।

भारत में महिला सशक्तिकरण के प्राचीन काल से लेकर अब तक अनेक आन्दोलन हुए हैं। ऐसे तीन दौर आये जब महिलाओं की अस्मिता को बड़े पैमाने पर मान्यता दी गयी तथा उन्हें अपने बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिली पहला दौर था, बौद्ध धर्म के आविर्भाव का। बौद्ध धर्म ने न केवल जाति प्रथा का विरोध किया, वरन् स्त्रियों की स्वतंत्रता का भी सम्मान किया जिसमें उनकी सामाजिक स्थिति एवं सम्मान की अभिव्यक्ति का माध्यम धर्म ही था, पर उसकी विभिन्न मुद्राओं के माध्यम से जो पीड़ा सामने आ रही थी, वह लौकिक जीवन की ही पीड़ा थी। दूसरी बार स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान में लाखों महिलाओं को घर से बाहर आने और सार्वजनिक जीवन में शामिल होने का अवसर दिया। गाँधी जी के आवाह्न पर प्रत्येक वर्ग की महिलाएँ स्वतंत्रता आन्दोलन में भागीदार बनीं और इस आन्दोलन को व्यापक, समृद्ध एवं अखिल भारतीय स्वरूप दिया।

सामाजिक क्रान्ति का वाहक : पंचायतीराज

महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से 20 अप्रैल 1993 की सामाजिक क्रांति का दायरा बहुत ही व्यापक है। इसी वर्ष पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी गयी। स्त्री की स्वतंत्रता के पूर्ववर्ती प्रयास तत्कालीन परिस्थिति में परिवर्तन तथा व्यक्तिगत निर्णयों तक सीमित थे। राजनीतिक एवं सामाजिक ढाँचे में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया गया, जिससे महिलाओं की हैसियत में संरचनात्मक सुधार हो। नतीजा यह होता था कि परिस्थिति के बदलते ही 'पुनर्मषको भव' की स्थिति आ जाती थी। इसके विपरीत 1993 में लोकतांत्रिक भारत में जो ऐतिहासिक प्रयोग किया गया, वह राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन पर आधारित है तथा महिलाओं के लिए संस्थागत प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है।

राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन का वाहक बनी पंचायती राज की नयी व्यवस्था जिसमें पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी गयी, उनका कार्यक्षेत्र परिभाषित किया गया, उनके संसाधनों के स्त्रोत निश्चित किये गये। इन्हें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का तीसरा स्तर तथा

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का आधार स्तंभ भी कहा जाता है। ये संस्थाएँ नागरिक समाज एवं सरकार के बीच कड़ी का काम करती हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया कि पंचायतों की कम से कम एक तिहाई सीटों पर महिलाएँ निर्वाचित होंगी, जिसका दायरा बढ़कर आज अधिकांश राज्यों में 50 प्रतिशत तक पहुँच गया है जो कि अभूतपूर्व है। यह आरक्षण सामान्य वर्ग में ही नहीं बल्कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए भी एक तिहाई आरक्षण प्रदान किया गया। इस तरह पंचायती क्रान्ति को समाज के सभी वर्गों तक ले जाने की कोशिश हुई। यह पंचायती राज व्यवस्था चार अवधारणाओं पर काम कर रही है।

पहला : पंचायती राज के माध्यम से लोग राजनीति में ज्यादा प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं।

दूसरा : स्थानीय समुदाय को परिवत्रन का वाहक बनाने एवं उनमें योजनागत चेतना फूँकने से आर्थिक परिवर्तन तेजी से और सक्षमतापूर्वक हो रहा है।

तीसरा : पंचायतों को शक्तियों का हस्तांतरण होने से सरकारी संस्थाओं, सामुदायिक विकास केन्द्रों, योजना समितियों को एक नयी समाज व्यवस्था एवं नागरिक समाज के उन्नयन अर्थात् एक सहकारी समाज के लिए रास्ता साफ हो रहा है।

चौथा : आम जनता के ऐसे समान अनुभव के आधार पर राजनीतिक संगठनों की ऐसी प्रणाली राष्ट्रीय एकता की वाहक बनेगी।

इसके पीछे स्थानीय स्वषासन का यह उसूल काम कर रहा है कि सरकार की निचली इकाइयों को सत्ता का अधिकतम हस्तांतरण और लोकप्रिय निर्वाचन से गठित संस्थाओं के जरिये स्वशासन प्रदान किया जाये। इन सभी पहलुओं में महिलाओं को पंचायतों के जरिये सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

पंचायतों में भागीदारी से महिलाओं की स्थिति में व्यापक बदलाव आया है। राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी से शासन की गुणवत्ता में सुधार आया है—राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी से शासन की गुणवत्ता में सुधार आया है। आर्थिक तथा जीविका से जुड़े मुद्दों, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों में भी स्तरों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, साथ ही बुनियादी सुविधाओं का विस्तार अधिक हो सकेगा क्योंकि उनकी प्राथमिकताएँ एवं आवश्यकताएँ उसी की तरह है।

पंचायतों एवं नगर पालिकाओं में महिलाओं की विगत 25 सालों की भागीदारी से यह सिद्ध हो गया है कि जनसंख्या स्थिरीकरण, लैंगिक असंतुलन में सुधार तथा महिलाओं के हितों को प्रोत्साहित करने में वे सबसे प्रभावशाली एवं संवेदनशील माध्यम है। पंचायतों के माध्यम से समाज की जड़ता, धार्मिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों, कुशासन एवं भ्रष्टाचार के उन्मूलन में महिलाओं ने प्रतिकूल वातावरण में भी अच्छा काम किया है। पंचायतीराज में महिलाओं की भागीदारी ने नागरिक समाज के उन्नयन, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, पर्यावरण की सुरक्षा आदि जैसे ज्वलंत एवं संवेदनशील मुद्दों जिनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध महिलाओं से है, कों

सुधारने में सशक्त माध्यम साबित हुआ है। पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी से ग्रामीण विकास एवं महिलाओं के विकास जैसे चिंतन का विकास हुआ एवं एक नई चेतना का सूत्रपात हुआ है।

उल्लेखनीय है कि पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी का प्रयोग देश के उन हिस्सों में ज्यादा सफल रहा है, जहाँ पहले से ही स्त्रियों की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रही है अथवा जहाँ राजनीतिक दलों ने इस कार्यक्रम को अपना समर्थन दिया है। लेकिन स्थितियाँ जहाँ अनुकूल नहीं हैं या राजनीतिक दलों का सकारात्मक सहयोग नहीं मिला है, वहाँ महिलाएँ अपने वाजिब अधिकारों से आज भी वंचित हैं। पंचायतों में चुने जाने के बाद भी महिलाएँ अपनी क्षमताओं का परिचय न दे सकें, इसके लिए कुछ अनौपचारिक उपाय अपना लिये गये हैं, जैसे–उन्हें नाममात्र का प्रतिनिधि बना देना अर्थात् पति ही पत्नी के नाम पर सारे कार्य करता है। प्रभावशाली महिलाओं को अविष्वास प्रस्ताव लाकर बेदखल करने के भी मामले सामने आये हैं।

इसलिए महिलाओं के सम्पूर्ण एवं वास्तविक सषक्तिकरण के लिए आवश्यक है पंचायतों का सशक्तिकरण क्योंकि कमजोर पंचायतें मजबूत महिलाओं को भी कमजोर बना सकती हैं। अधिकतम पंचायतों के पास अपना कोई राजस्व नहीं है, नीति निर्माण करने का प्रावधान नहीं है। न्याय प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के विकेन्द्रीकरण का सर्वथा अभाव है। इसलिए हमें पंचायतीराज को विकास के वाहक के रूप में देखने की बजाय विकास को ही पंचायती राज के वाहक के रूप में देखना चाहिए, तभी वास्तविक सशक्तिकरण सम्भव हो सकेगा। इसमें यह याद रखना होगा कि केवल ऊपर से नीचे सत्ता के हस्तांतरण से ही स्थानीय स्वशासन को अपने मूलरूप में स्थापित नहीं किया जा सकता क्योंकि लोकतंत्र शासन की इकाई के आकार पर नहीं, वरन् गुणवत्ता के आधार पर निर्भर करता है।

लोकतंत्र का मतलब स्थानीय भू–क्षेत्र को छोटी–छोटी मात्रा में सत्ता थमा देना नहीं होता, लोकतंत्र का सारतत्व भू–क्षेत्र न होकर व्यक्ति में निहित होता है। इसलिए हमें गांधीवादी स्वरूप वाला स्वशासन चाहिए, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति चाहे वे पुरूष हों या महिलाएँ अपना शासन वे स्वयं करें, जिसमें सत्ता का बहाव लम्बवत न होकर क्षैतिज हो। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की आड़ में लोकतांत्रिक केन्द्रवाद जैसा खतरा न पैदा हो।

संदर्भ ग्रंथ

1. 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992
2. आलोक, चेतनादित्य, *''महिला सशक्तिकरण : हमारे समाज का सहज स्वरूप''*, अंक–08, मार्च, 2016, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली।
3. व्होरा, आशारानी, *महिलाएँ और स्वराज'* प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. शुक्ल, संध्या, ::*प्रगति पथ पर अग्रसर नारी,* अंक–08, मार्च, 2016, पवार, योगिता, महेश, ''महिला सशक्तिकरण : फिर भी मंजिल अभी बाकी'', अंक–08, मार्च, 2016, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली।

5. पाण्डेय, प्रेम नारायण, *'ग्रामीण विकास एवं संरचनात्मक परिवर्तन,* रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2000
6. महीपाल, *'पंचायत में महिलाएँ',* राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली, 2017
7. वर्मा, सवलिया विहारी, सिंह उर्मिला, कुमारी, ममता (सम्पा0) : ग्रामीण महिला उत्थान
8. कुरूक्षेत्र : *पंचायतीराज,* अंक–09, जुलाई–2018, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली।
9. शर्मा के0के0, *भारत में पंचायती राज,* विश्वभारती प्रकाशन, नई दिल्ली, 2012
10. डा0 अहमद, शकील, *'ग्रामीण अनुसूचित जाति महिला नेतृत्व',* शलभ प्रकाशन, मेरठ, 2015